दिनांक 05.03.2024 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निगम ने 14 दुकानो को किया सील

भिलाईनगर। भिलाई निगम के राजस्व अमले ने कान्ट्रेक्टर कालोनी सुपेला में मंजीत सिंह बग्गा के 6 दुकानो तथा स्मृति नगर मे श्यामा चरण पाण्डेय के 8 दुकान को संपत्तिकर की राशि नही पटाये जाने के कारण सील बंद किया।

निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर संपत्तिकर विभाग द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए भवन स्वामी को विधिवत नोटिस के बाद कुर्की वारंट जारी कर जोन को निर्देशित किये है कि बकायादारो द्वारा निगम के देय करो का भुगतान नहीं किये जाने पर कुर्की की कार्यवाही कर बकाया राशि की वसूली की जाये।

इसी क्रम में कान्ट्रेक्टर कालोनी सुपेला में निवासरत मंजीत सिंह बग्गा के 6 दुकान जिसका संपत्तिकर बकाया राशि 6 लाख 82 हजार 3 सौ 32 रूपया तथा स्मृति नगर निवासी श्यामाचरण पाण्डेय के द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि 3 लाख 25 हजार 7 सौ 45 रूपया जमा नहीं करने के कारण उनके 8 दुकानों को जोन 1 सहायक राजस्व अधिकारी की टीम ने 14 दुकान को सील बंद किया है।

अवकाश दिवस मे खुले रहेंगे टैक्स काऊंटर
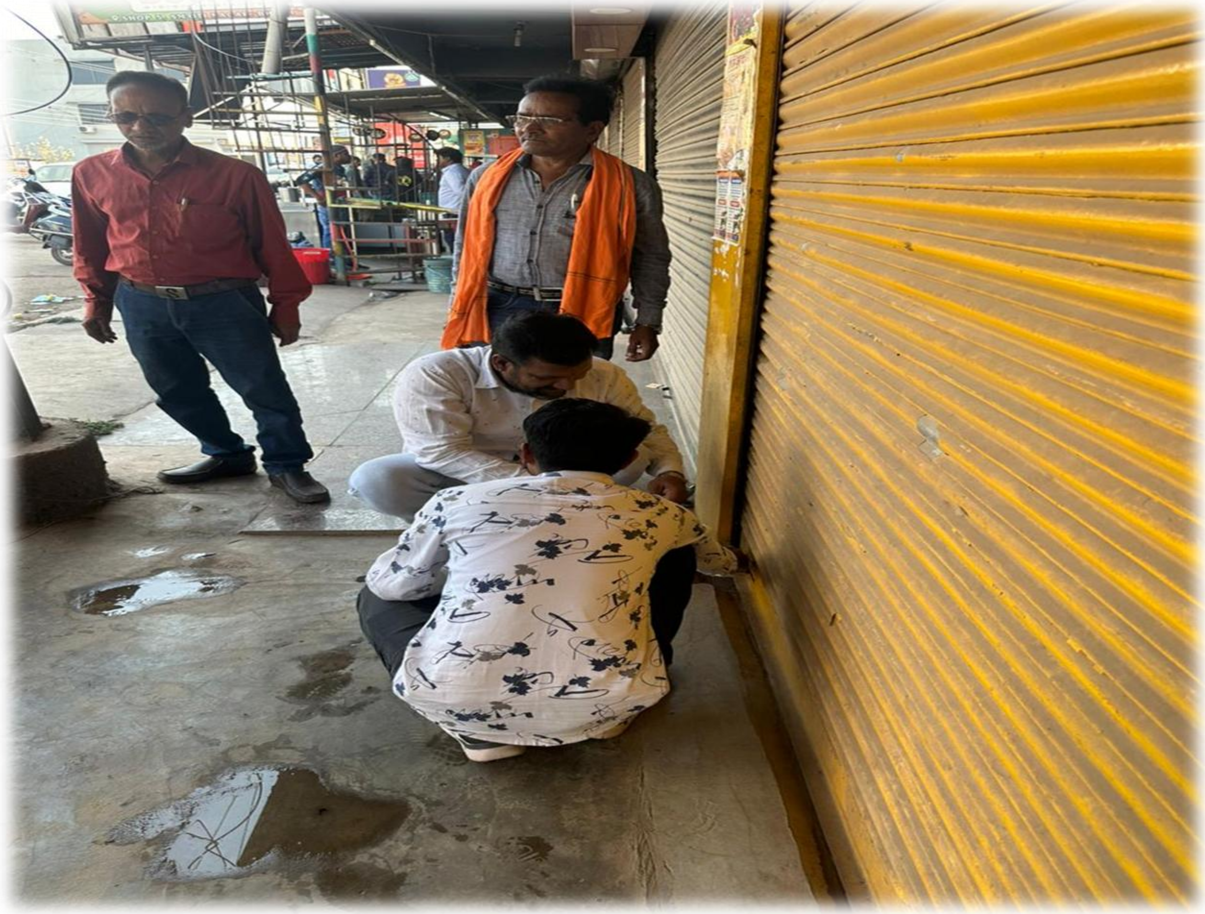
वित्तीय वर्ष समाप्ति पर निगम द्वारा भवन स्वामियों को सुविधा प्रदान करने के लिए निगम मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय के संपत्तिकर काउन्टर अवकाश दिनो में खुले रखने के निर्देश आयुक्त ने वसूली एजेंसी को दिये है। नागरिक अवकाश अवधि में भी निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर निगम संबंधी देय करो का भुगतान कर सकते है।